


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2015/भाद्र 4, 1937

No. 532]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/BHADRA 4, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
(केन्द्रीय बायलर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 664(अ).—कतिपय प्रारूप विनियम, अर्थात् भारतीय बायलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, भारतीय बायलर विनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सा.का.नि 285(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालिस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 15 अप्रैल, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और प्रस्तावित प्रारूप नियमों पर विभिन्न व्यक्तियों और पणधारियों से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट संशोधनों पर प्राप्त सुझावों या आक्षेपों पर सम्यक्तः विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय बायलर बोर्ड, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बायलर विनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बायलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 है।

(ख) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बायलर विनियम, 1950 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 4 में, —

(i) खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ड.) पाइपों के लिए प्रमाणपत्र-

निर्माता और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विनिर्माण और जांच का प्रमाणपत्र प्ररूप 3क में प्रस्तुत किया जाएगा और विख्यात पाइप निर्माताओं को भी विनिर्माण और परीक्षण का प्ररूप 3क में आनलाइन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।";

(ii) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(च) ट्यूबों के लिए प्रमाणपत्र-

निर्माता और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विनिर्माण और जांच का प्रमाणपत्र प्ररूप 3ख में प्रस्तुत किया जाएगा और विख्यात ट्यूब निर्माताओं को भी विनिर्माण और परीक्षण का प्ररूप 3ख में आनलाइन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।";

3. उक्त विनियमों के विनियम 290 में,-

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) सभी चेस्ट और सज्जाएं बराबर, मजबूत और किन्हीं त्रुटियों, दरारों अन्य क्षतिकर त्रुटियों से मुक्त होंगी और पूर्ण होने के पश्चात् चेस्टों की हाइड्रोलिक रूप से बायलर के कार्यशील दाब के न्यूनतम डेढ़ गुणा समय तक, जिसके लिए उसका उपयोग आशयित है, जांच की जाएगी।

हाइड्रोलिक जांच पानी के साथ की जाएगी, जिसमें केरोसीन के साथ कोरोसिन इनहिबिटर अंतर्विष्ट हो सकता है या कोई अन्य समुचित द्रव, परंतु यह कि उसकी श्यानता किसी जांच तापमान, जो 52 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं है किन्तु जल से अधिक नहीं होनी चाहिए, के साथ उसकी जांच की जाएगी।";

(ii) खंड (घ) में, "जहां f = कार्यशील धातु तापमान 't' का उदाहरण नीचे दिए गए आधार पर किया जाएगा, सामग्री के लिए अनुज्ञेय दाब किलोग्राम/मिलीमीटर² :

अनुज्ञेय दाब 'f' 454 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उससे नीचे निम्नलिखित दोनों मानकों से कम है :

$$f = \frac{Et}{1.5} \quad f = \frac{R}{2.7}$$

454 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या उससे अधिक के लिए निम्नलिखित 3 मानकों में से जो सबसे कम है :

$$(a) \quad f = \frac{Et}{1.5} \quad (b) \quad f = \frac{Sr}{1.5} \quad (c) \quad f = Sc$$

जहां " f, = न्यूनतम अनुज्ञेय दाब, जैसा कि सामग्री के जिससे वह संबंधित है के देश की शासकीय संहिताओं में उपलब्ध है, किलोग्राम/मिलीमीटर² अक्षर, शब्द और अंक। मानक की अननुपलब्धता की दशा में, अनुज्ञेय दाब मानकों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अंगीकृत किया जाएगा।

अनुज्ञेय दाब 'f' 454 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उससे नीचे के लिए निम्नलिखित दोनों मानकों से, जो कम है :

$$f = \frac{Et}{1.5} \quad f = \frac{R}{2.7}$$

454 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या उससे अधिक के लिए निम्नलिखित 3 मानकों में से जो सबसे कम है :

$$f = \frac{Et}{1.5} \quad (b) \quad f = \frac{Sr}{1.5} \quad (c) \quad f = Sc$$

" रखा जाएगा।"

4. उक्त विनियमों में विनियम 385 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"385. रजिस्ट्रीकरण फीस- अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के साथ अपेक्षित फीस इस प्रकार होगी :

सारणी

क्र. सं.	बायलर रेटिंग	फीस रुपए में
(1)	(2)	(3)
1.	लघु उद्योग बायलरों के लिए अध्याय XIV के अनुसार	1200
2.	ऐसे बायलर के लिए, जिसकी रेटिंग 10 वर्गमीटर से अनधिक है	1800
3.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 10 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 30 वर्गमीटर से अनधिक है	2400
4.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 30 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 50 वर्गमीटर से अनधिक है	2700
5.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 50 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 70 वर्गमीटर से अनधिक है	3300
6.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 70 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 90 वर्गमीटर से अनधिक है	3900
7.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 90 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 110 वर्गमीटर से अनधिक है	4500
8.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 110 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 200 वर्गमीटर से अनधिक है	5100
9.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 200 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 400 वर्गमीटर से अनधिक है	5700
10.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 400 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 600 वर्गमीटर से अनधिक है	6600
11.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 600 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 800 वर्गमीटर से अनधिक है	7200
12.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 800 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1000 वर्गमीटर से अनधिक है	8100
13.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 1000 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1200 वर्गमीटर से अनधिक है	9600
14.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 1200 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1400 वर्गमीटर से अनधिक है	10800
15.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 1400 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1600 वर्गमीटर से अनधिक है	12600
16.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 1600 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1800 वर्गमीटर से अनधिक है	13500
17.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 1800 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2000 वर्गमीटर से अनधिक है	15000
18.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 2000 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2200 वर्गमीटर से अनधिक है	16200
19.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 2200 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2400 वर्गमीटर से अनधिक है	18000
20.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 2400 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2600 वर्गमीटर से अनधिक है	18900
21.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 2600 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2800 वर्गमीटर से अनधिक है	20400
22.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 2800 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 3000 वर्गमीटर से अनधिक है	21600

3000 वर्ग मीटर से ऊपर प्रत्येक 200 वर्ग मीटर या उसके भाग के लिए 600 रुपये की अतिरिक्त फीस प्रभारित की जाएगी:

परंतु मुख्य निरीक्षक निदेश दे सकेगा कि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण में किए गए नए आवेदन की बाबत कोई फीस संदेय नहीं होगी।

पृथक रूप से दग्ध अतितापित्र, पुनःतापित्र और इकोनोमाइजर के लिए निरीक्षण फीस रजिस्ट्रीकरण फीस के समान दर पर प्रभारित की जाएगी।

ताप रिकवरी वाष्प जनित्र जिनके साथ फिन्न ट्यूबें हैं के लिए फीस की संगणना केवल ट्यूबों के तापित्र के सतह क्षेत्र पर और फिन्न के तापित्र सतह क्षेत्र के एक चौथाई पर की जाएगी।

टिप्पण :

राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (च) के अनुसार फीस विहित करने के लिए नियम बना सकेंगी जो अभिभावी होंगे।

385.क प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए निरीक्षण फीस –

अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5क) के अधीन किसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित फीस इस प्रकार होगी :

सारणी

क्रम सं.	बायलर रेटिंग	फीस रुपये में
(1)	(2)	(3)
1.	लघु उद्योग बायलरों के लिए अध्याय XIV के अनुसार	1000
2.	ऐसे बायलर के लिए, जिसकी रेटिंग 10 वर्गमीटर से अनधिक है	1600
3.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 10 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 30 वर्गमीटर से अनधिक है	2100
4.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 30 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 50 वर्गमीटर से अनधिक है	2400
5.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 50 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 70 वर्गमीटर से अनधिक है	2700
6.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 70 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 90 वर्गमीटर से अनधिक है	3400
7.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 90 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 110 वर्गमीटर से अनधिक है	4000
8.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 110 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 200 वर्गमीटर से अनधिक है	4500
9.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 200 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 400 वर्गमीटर से अनधिक है	5000

10.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 400 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 600 वर्गमीटर से अनधिक है	5800
11.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 600 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 800 वर्गमीटर से अनधिक है	6300
12.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 800 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1000 वर्गमीटर से अनधिक है	7100
13.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 1000 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1200 वर्गमीटर से अनधिक है	8400
14.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 1200 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1400 वर्गमीटर से अनधिक है	9500
15.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 1400 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1600 वर्गमीटर से अनधिक है	11100
16.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 1600 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1800 वर्गमीटर से अनधिक है	11900
17.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 1800 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2000 वर्गमीटर से अनधिक है	13200
18.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 2000 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2200 वर्गमीटर से अनधिक है	14300
19.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 2200 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2400 वर्गमीटर से अनधिक है	15800
20.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 2400 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2600 वर्गमीटर से अनधिक है	16600
21.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 2600 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2800 वर्गमीटर से अनधिक है	18000
22.	ऐसे बालयर के लिए, जिसकी रेटिंग 2800 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 3000 वर्गमीटर से अनधिक है	19000

3000 वर्ग मीटर से ऊपर प्रत्येक 200 वर्ग मीटर या उसके भाग के लिए 500 रुपये की अतिरिक्त फीस प्रभारित की जाएगी:

परंतु मुख्य निरीक्षक निदेश दे सकेगा कि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण में किए गए नए आवेदन की बाबत कोई फीस संदेय नहीं होगी।

पृथक रूप से दग्ध अतितापित्र, पुनःतापित्र और इकोनोमाइजर के लिए निरीक्षण फीस रजिस्ट्रीकरण फीस के समान दर पर प्रभारित की जाएगी।

ताप रिकवरी वाष्प जनित्र जिनके साथ फिन्न ट्यूबें हैं के लिए फीस की संगणना केवल ट्यूबों के तापित्र के सतह क्षेत्र पर और फिन्न के तापित्र सतह क्षेत्र के एक चौथाई पर की जाएगी।

स्वामी के अनुरोध पर छह मास या उससे कम की अवधि के लिए प्रमाणपत्र का नवीकरण करने के अनुरोध पर आवेदन फीस का आधा संदेय होगा।

मरम्मत के पूरा होने के पश्चात् त्रुटियुक्त बायलर के पुनःनिरीक्षण के लिए आवेदन फीस फिर से संदेय होगी।

पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन स्वामी के निरीक्षण के लिए अनुरोध पर आवेदन फीस के आधे के बराबर अतिरिक्त फीस संदेय होगी।

टिप्पण: यदि किसी राज्य सरकार ने प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए संदेय फीस के लिए इस विनियम के प्रारंभ होने से पूर्व नियम अधिसूचित किए हैं जो इन विनियमों में विहित फीस से उच्चतर है तो वह उन नियमों के अनुसार फीस प्रभारित करने का या इन विनियमों में उपबंधित के अनुसार फीस प्रभारित करने का विकल्प ले सकती है।

5. उक्त विनियमों में विनियम 338 को उप-विनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-विनियम के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) अंतरक राज्य द्वारा बायलर के स्वामी से प्रति बायलर एक हजार रुपये की फीस प्रभारित की जाएगी।"

6. उक्त विनियमों में विनियम 392 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"392. बायलरों और वाष्प पाइपों की मरम्मत — (1) मुख्य मरम्मत या भागों को बदलना जैसे ट्यूब, कुंडलियां, हैडर, ड्रम, शैलों के फ्यूजन वैलडड या रेब्रेटेड पैच, फायर बाक्स और बायलरों की एंड प्लेटें तथा इन विनियमों के अधीन अनुज्ञात बायलरों के बेकार हिस्से पुर्जों का ढेर, भिट्टियों और एंड प्लेटों का नवीकरण, फायर बाक्स, गिरडर और वाष्प पाइप आदि को केवल उस फर्म को सौंपा जाएगा जिसे इन विनियमों के अधीन मरम्मत कर्ता के रूप में मान्यता दी गई है।

(2) मान्यता की ईप्सा रखने वाली कोई फर्म निम्नलिखित फीस के साथ उस राज्य के मुख्य बायलर निरीक्षक को आवेदन करेगी जिसमें मान्यता की वांछा की गई है:

क्रम सं.	बायलर मरम्मतकर्ता का वर्ग	मान्यता के लिए फीस (रुपये में)	मान्यता के नवीकरण के लिए फीस (रुपये में)	पृष्ठांकन के लिए फीस (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विशेष वर्ग	रुपये 15,000/-	रुपये 7,500/-	रुपये 5,000/-
2.	वर्ग I	रुपये 10,000/-	रुपये 5,000/-	रुपये 4,000/-
3.	वर्ग II	रुपये 5,000/-	रुपये 2,500/-	रुपये 2,000/-
4.	वर्ग III	रुपये 2,500/-	रुपये 1,250/-	रुपये 1,000/-

(3) मरम्मतकर्ता के रूप में मान्यता की वांछा रखने वाली फर्म, बायलरों के वर्ग के ऊपर निर्भर करते हुए, निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगी, अर्थात् :—

(i) वर्ग I बायलर मरम्मतकर्ता - फर्म के स्वामी के पास यांत्रिक या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरी में डिग्री होगी या फर्म के रोल पर एक स्थायी रूप से नियोजित इंजीनियर होगा जिसके पास यांत्रिक या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरी में डिग्री होगी। स्वामी या स्थायी रूप से नियोजित उक्त इंजीनियर के पास बायलरों के फैब्रिकेशन, परिनिर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण में लगे हुए संगठन में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव भी होगा; और फर्म के पास इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार अर्हित और स्थाई रूप से नियोजित वैल्डर भी होंगे।

(ii) वर्ग II बायलर मरम्मतकर्ता - फर्म के स्वामी के पास यांत्रिक या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरी में डिग्री होगी या फर्म के रोल पर एक स्थायी रूप से नियोजित इंजीनियर होगा जिसके पास यांत्रिक या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरी में डिग्री होगी। स्वामी या स्थायी रूप से नियोजित इंजीनियर के पास बायलरों के फैब्रिकेशन, परिनिर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण में लगे हुए संगठन में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव भी होगा; और फर्म के पास इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार अर्हित और स्थाई रूप से नियोजित वैल्डर भी होंगे;

(iii) वर्ग III मरम्मतकर्ता - फर्म का स्वामी स्वयं फर्म के साथ स्थायी रूप से नियोजित व्यक्ति होगा जिसके पास बायलरों की मरम्मत, अनुरक्षण, प्रचालन, परिनिर्माण या निरीक्षण का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होगा। फर्म के पास इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार अर्हित और स्थाई रूप से नियोजित वैल्डर भी होंगे;

(iv) विशेष वर्ग बायलर मरम्मतकर्ता - फर्म के स्वामी के पास यांत्रिक या वैल्डिंग इंजीनियरी में डिग्री के साथ वैल्डिंग प्रौद्योगिकी में न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि का विशेषीकृत अनुभव होगा या फर्म के रोल पर यांत्रिक या वैल्डिंग प्रौद्योगिकी में डिग्री के साथ वैल्डिंग प्रौद्योगिकी में न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव के साथ स्थायी रूप से नियोजित इंजीनियर होगा और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार स्थाई रूप से नियोजित वैल्डर भी होंगे, जिनके पास टंगस्टन अक्रियाशील गैस, वैल्डिंग करने के लिए वैध प्रमाणपत्र होगा;

(v) (क) विद्युत केंद्रों, उर्वरक संयंत्रों, रसायनिक और पेट्रोलसायनिक संयंत्रों या परिष्कर्णिय द्वारा उनके स्वयं के बायलरों की मरम्मत के लिए अनुरोध करने पर, उनके पास स्वयं की सभी सुविधाएं होंगी और वे राज्य के मुख्य बायलर निरीक्षक को अपने स्वयं के बायलरों की मरम्मत के लिए इन विनियमों के अनुसरण में आवेदन करेंगे,

(ख) किसी बायलर की मरम्मत के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन की प्राप्ति पर राज्य का मुख्य बायलर निरीक्षक अनुरोध की प्राप्ति के 15 दिन की कालावधि के भीतर प्रतियुत्तर देगा।

(4) उप-विनियम 3 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य निरीक्षक प्ररूप 18 में आवेदक को एक प्रश्नावली भेजेगा।

(5) मुख्य निरीक्षक प्रश्नावली के उत्तरों के साथ आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन करेगा तथा स्वयं का यह समाधान हो जाने पर कि निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, फर्म को उस प्रवर्ग में जिसके लिए आवेदन किया गया है तीस दिन की अवधि के लिए मरम्मतकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान करेगा, अर्थात् :-

(i) यह कि फर्म के पास रैक्टीफायर या जनित्र, ग्राइंडर, साधारण औजार और टैक्लस, रंजक भेदक किट, विस्तारक और मापमानकर्ता उपस्कर हैं;

(ii) यह कि उसके पास वैद्युत आर्क या आक्सी-एसेटिलेन वैल्डिंग सैट और सभी अन्य औजार तथा संयंत्र हैं जो हाथ में लिए जाने वाले संकर्म की मरम्मत के लिए समुचित हैं;

(iii) इस्तेमाल की गई सामग्री की क्वालिटी इन विनियमों में विहित विशिष्टियों के अनुरूप हैं;

(iv) फर्म द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक और प्रचालन कर्मचारीवृंद के पास हाथ में लिए गए कार्य के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और अनुभव है;

(v) यह कि फर्म के द्वारा नियोजित सभी वैल्डरों के पास इन विनियमों के अध्याय 13 के अधीन यथाअपेक्षित जारी किए गए प्रमाणपत्र हैं;

(vi) कार्य का मानक उच्च होना चाहिए और यह सभी अपेक्षाओं और परीक्षण, जो मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, के अनुरूप होना चाहिए

(6) मरम्मतकर्ता के रूप में फर्म की मान्यता दो वर्ष की कालावधि के लिए होगी। तत्पश्चात् वह अपनी मान्यता के नवीकरण के लिए उक्त अवधि के अवसान से कम से कम दो मास पूर्व आवेदन करेगी।

(7) किसी एक राज्य में मान्यताप्राप्त मरम्मतकर्ता किसी अन्य राज्य में कार्य करने के लिए अपनी मान्यता को संबंधित राज्य के मुख्य बायलर निरीक्षक या निदेशक से इन विनियमों में विहित फीस का संदाय करके पृष्ठांकित करके पात्र होगा।

(8) यदि कोई मरम्मतकर्ता अधिनियम या विनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने में पाया जाता है तो फर्म को सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य बायलर निरीक्षक या निदेशक तथा सचिव, केंद्रीय बायलर बोर्ड को संसूचना के अधीन काली सूची में डाल दिया जाएगा और किसी भी दशा में नवीकरण नहीं किया जाएगा।"

7. उक्त विनियमों के विनियम 393 में, -

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"क) भूमि बायलरों और बायलर संघटकों की दशा में जिसके अंतर्गत राज्यों में उपयोग के लिए भारत में बनाए गए हिस्से पुर्जे हैं, यथास्थिति, बायलरों की विनिर्माणकारी ड्राइंग और सामग्रियों, डिजाइन तथा संनिर्माण की विशिष्टियों को बायलरों या बायलर संघटकों के निर्माताओं द्वारा उस राज्य के निरीक्षण प्राधिकारी को जहां बायलरों के मुख्य भागों का विनिर्माण किया जाएगा परीक्षण के लिए और अनुमोदन के लिए बायलरों के विनिर्माण को प्रारंभ करने से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।";

(ii) खंड (ख) में, "बायलरों की दशा में" शब्दों के स्थान पर "बायलरों और बायलर संघटकों की दशा में जिसके अंतर्गत हिस्से पुर्जे हैं" शब्द रखे जाएंगे";

(iii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्माणकारी ड्राइंगों की संवीक्षा के लिए फीस तथा बायलरों और बायलर संघटकों जिसके अंतर्गत हिस्से पुर्जे हैं के संनिर्माण की सामग्रियों, डिजाइन की विशिष्टियां विनियम 385क में विहित परिमाण में होंगी किंतु विनिर्माण ड्राइंगों की संवीक्षा की जा चुकी हो और उनके संबंध में किसी फेरफार का सुझाव दिया गया हो और उन्हें संवीक्षा के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है तो ड्राइंगों की पहली संवीक्षा के लिए फीस के दस प्रतिशत की दर से पृथक फीस संदेय होगी यदि विनिर्माणकारी ड्राइंगों में पूर्व में सुझाए गए फेरफार से भिन्न फेरफार अंतर्विष्ट हैं।"

8. उक्त विनियमों में विनियम 395 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"395. वाष्प पाइपों की योजनाओं को प्रस्तुत करना - (क) वाष्प पाइपों की योजनाएं जिसके अंतर्गत आरोहण और सज्जाएं भी हैं निरीक्षण प्राधिकारी को संनिर्माण से पूर्व विहित फीस के साथ और मुख्य निरीक्षक को बायलर के रजिस्ट्रीकरण के समय उसके इस विनिश्चय के लिए कि क्या पाइप और उनका प्रबंध विनियमों का अनुपालन करता है, के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।

(ख) (i) योजनाओं और सामग्रियों, डिजाइन की जांच तथा वाष्प पाइपों के संनिर्माण के लिए फीस 30 मीटर तक के पाइप या उसके भाग के लिए 200 रुपये की दर से न्यूनतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए होगी।

(ii) योजनाओं और सामग्रियों, डिजाइन की विशिष्टियां तथा किन्हीं सज्जाओं, आरोहणों और संघटकों के विनिर्माण (बिना ताप अंतरण के) जैसे वाल्व, डिशड एंडस, हैंड होल कवर, मेन होल कवर, फ्लैग्स आदि की जांच के लिए फीस ऐसी समान सज्जाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए 300 रुपये होगी किंतु डी-सुपर हीटर, वाष्प रिसीवर, सैप्रेटरों जैसी सज्जाओं के लिए फीस ऐसी समान सज्जाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए 1000 रुपये होगी।"

9. उक्त विनियमों में विनियम 395क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"395.क भारत में संनिर्मित बायलरों और उनके हिस्सों के लिए निरीक्षण फीस - (1) बायलरों की निरीक्षण फीस की संगणना

(2) ट्यूबों और पाइपों के निरीक्षण के लिए फीस प्रति एम टी या उसके भाग के लिए 360/- प्रति मीटरिक टन की दर से प्रभारित की जाएगी।

(3) संनिर्माण के स्थल पर बायलर के निरीक्षण के लिए फीस विनियम 385क में यथाविहित किसी बायलर के नवीकरण प्रमाणपत्र की फीस से चार गुणा होगी।

(4) ढलवा पाइप सज्जाओं के निरीक्षण के लिए फीस विनियम 395ग के उप-विनियम (2) के खंड (i) के अधीन ढलवा और कास्ट फ्लैग्स के लिए विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित की जाएगी।

(5) ढलंवा पाइप सज्जाओं से भिन्न पाइल सज्जाओं के निरीक्षण के लिए फीस विनियम 395ग के उप-विनियम (2) के खंड (i) के अधीन ढलंवा और कास्ट सज्जाओं के लिए विनिर्दिष्ट फीस के दो गुणा की दर पर प्रभारित की जाएगी।

(6) पाइपों और ट्यूब बैंडों के निरीक्षण के लिए फीस 300 रुपये के न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रति मीटर 10/- रु. की दर से प्रभारित की जाएगी। "

10. उक्त विनियमों में विनियम 395ख के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"395ख पाइपों के निरीक्षण के लिए फीस - (क) सामान्य बोर के पाइपों के लिए जो 100 मि.मी. से अधिक नहीं है जिसके अंतर्गत डीसुपर हीटर, वाष्प रिसीवर, फीड हीटर और पृथक्कत: दग्ध सुपर हीटर जैसी सज्जाएं नहीं हैं के सिवाय सभी सज्जाओं के लिए 30 मीटर पाइप या उसके भाग के लिए 500 रु. है ;

(ख) सामान्य बोर के पाइपों के लिए जो 100 मि.मी. से अधिक हैं जिसके अंतर्गत डीसुपर हीटर, वाष्प रिसीवर, फीड हीटर और पृथक्कत: दग्ध सुपर हीटर जैसी सज्जाएं नहीं हैं के सिवाय सभी सज्जाओं के लिए 30 मीटर पाइप या उसके भाग के लिए 1200 रु. है। "

11. उक्त विनियमों में विनियम 395ग के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"395ग. वाल्वों और फलैंग्स के निरीक्षण के लिए फीस -

(1) प्रति निरीक्षण 600 रु. की न्यूनतम निरीक्षण फीस के अधीन रहते हुए वाल्वों के निरीक्षण के लिए फीस नीचे दिए गए अनुसार प्रभारित की जाएगी :

(क) 25 मि.मी. तक	20/- रु. प्रति नग
(ख) 25 मि.मी. से अधिक 100 मि.मी. तक	60/- रु. प्रति नग
(ग) 100 मि.मी. से अधिक 250 मि.मी. तक	400/- रु. प्रति नग
(घ) 250 मि.मी. से अधिक	1000/- रु. प्रति नग

(2) फलैंग्स के निरीक्षण के लिए फीस निम्नानुसार प्रभारित की जाएगी :

(i) ढलंवा और कास्ट फलैंग्स के लिए :

(क) 25 मि.मी. तक जिसमें वह शामिल है, 50 के बैच या उसके भाग के लिए	300 रु.
(ख) 25 मि.मी. तक जिसमें वह शामिल है, 100 के बैच या उसके भाग के लिए	520 रु.
(ग) 25 मि.मी. से अधिक और जिसके अंतर्गत 50 मि.मी. है, 50 के बैच या उसके भाग के लिए	580 रु.
(घ) 50 मि.मी. से अधिक और जिसके अंतर्गत 100 मि.मी. है, 25 के बैच या उसके भाग के लिए	580 रु.
(ड.) 100 मि.मी. से अधिक और जिसके अंतर्गत 250 मि.मी. है, 10 के बैच या उसके भाग के लिए	620 रु.
(च) 250 मि.मी. से ऊपर 5 के बैच के लिए या उसके भाग के लिए	720 रु.

(ii) प्लेट फलैंग्स के लिए : फीस ढलंवा और कास्ट फलैंग्स के लिए प्रभारित की दर से आधी दर पर प्रभारित की जाएगी। "

12. उक्त विनियमों में विनियम 395ड. के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"395ड. फीड जल तापकों और अन्य सज्जाओं के निरीक्षण के लिए फीस - (1) फीड जल तापकों के निरीक्षण के लिए प्रति तापित्र 10000 रुपये की फीस प्रभारित की जाएगी।

(2) डी-सुपर तापित्र, वाष्प रिसीवर और पृथक्कत: दग्ध सुपरतापित्रों जैसी सज्जाओं के लिए प्रति सज्जा 2500 रु. की फीस प्रभारित की जाएगी। "

13. उक्त विनियमों में विनियम 395ख के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"395ख हिस्से पुर्जों और बायलर संघटकों के निरीक्षण के लिए फीस - सभी किस्म की कुंडलियों, अर्थात् इकोनोमाइजर कुंडलियों, सुपर हीटर कुंडलियों, रीहीटर कुंडलियों के लिए निरीक्षण फीस विनियम 385क में यथाउपबंधित के अनुसार सतह क्षेत्र के आधार पर प्रमाणपत्र के नवीकरण की फीस से चार गुणा फीस प्रभारित की जाएगी।"

14. उक्त विनियमों में विनियम 533 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"533 रजिस्ट्रीकरण फीस - इकोनोमाइजर के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के साथ विनियम 385 में यथाविनिर्दिष्ट समुचित फीस संलग्न होगी।

533क. प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए फीस - इकोनोमाइजर के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए किसी आवेदन के साथ विनियम 385क में यथाविनिर्दिष्ट समुचित फीस संलग्न होगी।"

15. उक्त विनियमों में विनियम 534ख के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"534ख फीड पाइपों की योजनाओं को प्रस्तुत करना - (1) योजनाओं और सामग्री, डिजाइन की विशिष्टियां की संवीक्षा और फीड पाइपों के विनिर्माण को प्रारंभ करने से पूर्व फीड पाइपों के संनिर्माण के लिए फीस 30 मीटर पाइप या उसके भाग के लिए 200 रु. होगी।

(2) योजनाओं की संवीक्षा और सामग्री, डिजाइन तथा फीड जल हीटर जैसी सज्जाओं के संनिर्माण के लिए फीस प्रति सज्जा 2500 /- रु. प्रभारित की जाएगी।"

16. उक्त विनियमों में विनियम 592 में खंड ख में "E_t = विनिर्दिष्ट न्यूनतम बढ़ाया हुआ तापमान इल्ड दाव या 0.2 प्रतिशत प्रूफ दाव डिजाइन तापमान (कि.ग्रा./से मी²) चिन्ह, अक्षर और शब्दों के स्थान पर, "E_t = विनिर्दिष्ट न्यूनतम बढ़ाया हुआ तापमान इल्ड दाव या 0.2 प्रतिशत प्रूफ दाव डिजाइन तापमान (कि.ग्रा./से मी²) जैसा कि सामग्री के बेस में जिससे वह संबंध रखती है कि शासी संहिताओं में उपलब्ध है" चिन्ह, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

17. उक्त विनियमों में विनियम 605क में खंड (ii) में " 25.00 रु." अंकों और शब्दों के स्थान पर " 300 रु." अंक और शब्द रखे जाएंगे।

18. उक्त विनियमों में विनियम 616 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"616 वैल्डरों की जांच के लिए फीस - (1) इन विनियमों के अधीन वैल्डरों की जांच के लिए फीस 600 रु. होगी और इसे, यथास्थिति, आवेदक या प्रायोजक द्वारा चुकाया जाएगा और इसके अतिरिक्त आवेदक या प्रायोजक सभी अन्य व्ययों जैसे सामग्री और कार्यशाला तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीयत परीक्षण सुविधाओं की लागत को चुकाएंगी।

(2) वैल्डर के प्रमाणपत्र के पृष्ठांकन के लिए फीस 200 रु. होगी और यथास्थिति, इसे आवेदक या प्रायोजक द्वारा चुकाया जाएगा।"

19. उक्त विनियमों में विनियम 617 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"617 शास्ति - (1) जो इन विनियमों के उल्लंघन में किसी बायलर या वाष्प पाइप की वैल्विंग में किसी व्यक्ति को नियोजित करेगा वह जुर्माने से जो 5000 रु. तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा

(2) कोई नियोक्ता या वैल्डर जो विनियम 615 के अधीन यथाअपेक्षित अभिलेखों का अनुरक्षण करने में असफल रहता है वह जुर्माने से जो 2500 रु. तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"

20. उक्त विनियमों में विनियम 622 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (क) (i) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के साथ संलग्न अपेक्षित फीस विनियम 385 के अनुसार होगी।

(ii) वार्षिक निरीक्षण फीस विनियम 385क के अनुसार होगी ।।

21. उक्त विनियमों में प्ररूप 3क में टिप्पण (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" टिप्पण (4) – विख्यात पाइप विनिर्माताओं से डिजीटली रूप से हस्ताक्षरित ऑन लाइन प्ररूप भी स्वीकार्य होगा ।।"

22. उक्त विनियमों में प्ररूप 3ख में टिप्पण (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण (4) – विख्यात ट्यूब विनिर्माताओं से डिजीटली रूप से हस्ताक्षरित ऑन लाइन प्ररूप भी स्वीकार्य होगा ।।"

23. उक्त विनियमों में प्ररूप 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 4

इस्पात निर्माता का विनिर्माण और जांच के परिणाम का प्रमाणपत्र

[विनियम 4 (ग) (iv)]

हम प्रमाणित करते हैं कि सामग्री जिसका विवरण नीचे दिया गया है..... द्वारा.....प्रक्रिया द्वारा.....विशिष्टियों के अनुसार बनाई गई है और इसेद्वारा बेलित किया गया है और इसकी हमारे जांच गृह प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में अनुबद्ध जांचों और सहनीयता के अनुसार समाधानप्रद रूप से जांच की गई है ।

प्लेटों और छड़ों के भौतिक गुण धर्म का वर्णन किया जाएगा जबकि इंगोट, बिल्लेट, बलूमस, सलैब और कनकास्ट छड़ें जिनको और प्रसंस्कृत किया जाना है के भौतिक गुण धर्म का वर्णन करना इस्पात विनिर्माता से अपेक्षित नहीं है ।

परीक्षण के परिणाम										
ताप संख्या	ब्रांड और संख्या	उत्पाद का नाम	आकार			पीस की संख्या	परम तनन-सामर्थ्य किग्रा में/ मिमी ²	प्रतिशत बढ़ाव	बैंड परीक्षण	टिप्पणियां
			लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	मौटाई या व्यास (मी.मी.)					

रसायनिक

विश्लेषण.....

अन्य जांच.....

निर्माता का प्रतिनिधि

(नाम और हस्ताक्षर)

निर्माता.....

(नाम और हस्ताक्षर)

हमने स्वयं का यह समाधान कर लिया है कि.....द्वारा उत्पादों का विनिर्माण भारतीय बायलर विनियम, 1950 के अनुसार किया है । तैयार उत्पादों से लिए गए नमूनों पर परीक्षणों के संचालन का हमारे द्वारा साक्ष्य किया गया है और यहां इसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियां सही हैं ।

सक्षम व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर	निरीक्षण प्राधिकारी/विख्यात इस्पात निर्माता का नाम और हस्ताक्षर
स्थान _____ तारीख _____	

24. उक्त विनियमों में परिशिष्ट **ब** के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परिशिष्ट **ज**

विनिर्माण के द्वारा बायलर, बायलर संघटकों और अन्य हिस्से पुर्जों का निरीक्षण

साधारण

निरीक्षण प्राधिकारी/सक्षम व्यक्ति की विनिर्माता के सभी संकर्मों तक युक्तियुक्त समय पर पहुंच होगी और वह कम से कम निम्नलिखित चरणों पर बायलर के विनिर्माण का निरीक्षण करेगा और वह किसी भी हिस्से पुर्जे को अस्वीकार कर सकेगा जो भारतीय बायलर विनियम, 1950 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है। किसी संदेह की दशा में निरीक्षण प्राधिकारी / सक्षम व्यक्ति नीचे अनुबंधित चरणों के अतिरिक्त किसी भी चरण पर जांच कर सकेगा। विनिर्माता किसी चरण पर पहुंचने से पूर्व निरीक्षण प्राधिकारी/सक्षम व्यक्ति को कम से कम चार दिन की सूचना देगा। किसी भी चरण निरीक्षण को हाथ में लेने से पूर्व निरीक्षण प्राधिकारी/सक्षम व्यक्ति स्वयं का यह समाधान कर लेगा कि परीक्षण उपस्कर/औजारों का उचित रूप से अशांकन कर लिया गया है।

चरण निरीक्षण

निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक बायलर का विनिर्माण के दौरान निरीक्षण किया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि विनिर्माण की जा रही सामग्रियों और परीक्षण इन विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहे हैं पर्याप्त निरीक्षण किए जाएंगे।

विनिर्माण के दौरान निरीक्षण के चरण

(क) **शैल किस्म के बायलर (i)** जब बायलर निर्माता के संकर्म में सुसंगत सामग्री जांच प्रमाणपत्रों के साथ पहचान के लिए सामग्रियां तैयार हैं ;

(ii) प्लेटों को बिछाने और काटने में, प्लेट पहचान चिन्ह को अवस्थित किया जाएगा ताकि बायलर हिस्से पुर्जे के पूरा होने के पश्चात् वह स्पष्ट रूप से दृश्यमान हो। यदि प्लेट के पहचान चिन्ह को आवश्यक रूप से काट दिया गया हो तो उसे विनिर्माता द्वारा संघटक के अन्य भाग में निरीक्षण प्राधिकारी/सक्षम व्यक्ति के समाधानप्रद रूप में अंतरित कर दिया जाएगा;

(iii) यदि उत्पादन वैलड परीक्षणों की अपेक्षा हो तो निरीक्षण प्राधिकारी/सक्षम व्यक्ति वैलड परीक्षण प्लेट सामग्री की पहचान करेगा ;

(ख) जब शैल्ड प्लेट और एंड प्लेटों को वैलडिंग के लिए तैयार प्लेट एजों के साथ विरचित कर लिया गया है और टैस्ट प्लेटें संलग्न कर दी गई हैं ;

(ग) जब मुख्य सिलिंड्रीकल शैल्फ की वैलडिंग पूरी कर ली गई है और परिपथता के लिए उसकी जांच कर ली गई है ;

(घ) गैर विध्वंसकारी जांच के रेडियोग्राफ और/या रिपोर्टों की जांच करना ;

(ङ.) जब ओपनिंग तैयार कर ली गई और स्टैंड पाइप तथा ऐसे ही कनेक्शन जिसके अंतर्गत एंड प्लेटें हैं की स्थिति में टैक वैलडिंग कर ली गई है तथा पश्चातवर्ती रूप से पूर्ण होने पर ;

(च) जब ड्रम या शैल की वैलडिंग पूरी कर ली गई है और ताप उपचारों के अभिलेखों की तब जांच करने के लिए इन विनियमों के अधीन ताप उपचार की अपेक्षा हो ;

- (छ) जब परीक्षण प्लेट से वैल्ड परीक्षण नमूने तैयार कर लिए गए हैं, पूर्व में चयन कर लिए गए हैं ताकि वह अपेक्षित परीक्षण का साक्ष्य कर सकें ;
- (ज) हाइड्रो परीक्षण के दौरान जिसके उपरांत बाह्य और आंतरिक परीक्षण तथा स्टैंपिंग ।

ख. जल ट्यूब बायलर

(I) वैल्डर ड्रम, तापित्र, सैपरेटर और वैसल्स

- (क) (i) जब बायलर निर्माता के संकर्म में सुसंगत सामग्री जांच प्रमाणपत्रों के साथ पहचान के लिए सामग्रियां तैयार हैं ;
- (ii) प्लेटों को बिछाने और काटने में, प्लेट पहचान चिन्ह को अवस्थित किया जाएगा ताकि बायलर हिस्से पुर्जे के पूरा होने के पश्चात् वह स्पष्ट रूप से दृश्यमान हो । यदि प्लेट के पहचान चिन्ह को आवश्यक रूप से काट दिया गया हो तो उसे विनिर्माता द्वारा संघटक के अन्य भाग में निरीक्षण प्राधिकारी/सक्षम व्यक्ति के समाधानप्रद रूप में अंतरित कर दिया जाएगा ;
- (iii) यदि उत्पादन वैल्ड परीक्षणों की अपेक्षा हो तो निरीक्षण प्राधिकारी/सक्षम व्यक्ति वैल्ड परीक्षण प्लेट सामग्री की पहचान करेगा ;
- (ख) जब प्लेटों की विरचना सिलिंड्रिकल आकार में वैल्डिंग के लिए किनारों को तैयार करने के साथ की जाती है और वैल्डिंग प्रारंभ करने के लिए तैयार करने के लिए और परीक्षण प्लेटों को संबद्ध करने के लिए उसे तैयार किया जाता है ;
- (ग) जब मुख्य सिलिंड्रिकल शैल की वैल्डिंग पूरी हो जाती है, शैल की परिपथता के लिए जांच की जाती है और रेडियोग्राफिक या पराध्वनि परीक्षण रिपोर्टें, अभिलेख संवीक्षा के लिए उपलब्ध हैं ;
- (घ) जब एंड प्लेटें मिल प्रमाणपत्र के साथ पहचान के लिए तैयार हैं, वैल्ड किनारों के आकार के साथ विरचित की जाती हैं और व्यासीय वैल्डिंग प्रचालन के लिए तैयारी में सिलिंड्रिकल शैल पर स्थापित की जाती हैं ;
- (ङ) जब एंड प्लेटों की वैल्डिंग या हैडर पूरा हो जाता है और रेडियोग्राफ या पराध्वनिक परीक्षण अभिलेख संवीक्षा के लिए उपलब्ध हों ;
- (च) जब प्रत्येक ड्रम या हैडर को किन्हीं प्रतिकर प्लेटों और संलग्नकों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है तथा जब प्रत्येक किस्म की ट्यूब टब शाखा का कम से कम दस प्रतिशत वैल्डिंग के लिए तैयार किया जाता है ;
- (छ) जब प्रत्येक ड्रम या हैडर पर सभी वैल्डिंग पूरी हो जाती है तो निरीक्षण प्राधिकारी/सक्षम व्यक्ति ताप उपचार तथा जांच प्लेटों की तैयारी और परीक्षण के सभी नमूनों के चिन्हांकन के सभी अभिलेखों की जांच करेगा ;
- (ज) गैर विध्वंसकारी परीक्षण के दौरान मिश्रातु इस्पात ड्रम और कार्बन इस्पात ड्रम जिसमें कार्बन अंतर्वस्तु 0.25 % से अधिक या मोटाई 100 मि. मी. से अधिक है के दाब को मुक्त करने के पश्चात् ;
- (झ) हाइड्रोलिक परीक्षण के दौरान अंतिम जांच और स्टैंपिंग के पश्चात्

(II) सीवन रहित ड्रम, हैडर, सैपरेटर और वैसल्स

- (क) जब सुसंगत सामग्री जांच प्रमाणपत्र के साथ सामग्रियों पहचान के लिए तैयार है, तब भी जब प्रत्येक सिलेंडर को विरचना के लिए तैयार किया जाता है या सैपरेटर एंड क्लोजर की वैल्डिंग और जांच प्लेट सामग्री की पहचान करने के लिए ;
- (ख) जब एंड प्लेटें मिल प्रमाणपत्र की पहचान करने के लिए तैयार हैं, तैयार किए गए वैल्ड किनारों के साथ आकार की रचना के लिए और जब उन्हें व्यासीय वैल्डिंग प्रचालन के लिए तैयारी की अवस्था में सिलिंड्रिकल शैल पर लगाया जाता है ;

- (ग) जब एंड प्लेटों की ड्रम या हैडर पर वैल्विंग पूरी हो जाती है और रेडियोग्राफ या पराध्वनिक परीक्षण अभिलेख संवीक्षा के लिए तैयार हैं ;
- (घ) जब प्रत्येक ड्रम या हैडर को किन्हीं प्रतिकर प्लेटों और संलग्नकों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है तथा जब प्रत्येक किस्म की ट्यूब्स टब शाखा का कम से कम दस प्रतिशत वैल्विंग के लिए तैयार किया जाता है ;
- (ङ.) जब प्रत्येक ड्रम या हैडर पर सभी वैल्विंग पूरी हो जाती है तो निरीक्षण प्राधिकारी ताप उपचार तथा जांच प्लेटों की तैयारी और परीक्षण के सभी नमूनों के चिन्हांकन के सभी अभिलेखों की जांच करेगा;
- (च) गैर विध्वंसकारी परीक्षण के दौरान मिश्रातु इस्पात ड्रम और कार्बन इस्पात ड्रम जिसमें कार्बन अंतर्वस्तु 0.25 % से अधिक या मोटाई 100 मि मी से अधिक है के दाब को मुक्त करने के पश्चात् ;
- (छ) हाइड्रोलिक परीक्षण के दौरान अंतिम जांच और स्टैंपिंग के पश्चात् ।

ग. ट्यूबलर और पाइपिंग संघटक

- (क) जब बायलर निर्माता के संकर्म में ट्यूब्स या पाइप सुसंगत सामग्री जांच प्रमाणपत्रों के साथ पहचान के लिए हैं ;
- (ख) जब सभी ट्यूबों या पाइपों और उनके संलग्नकों की वैल्विंग पूरी हो जाएं और संवीक्षा के लिए सभी गैर विध्वंसकारी परीक्षण और दाब मुक्त करने वाली रिपोर्ट/अभिलेख उपलब्ध हों ;
- (ग) हाइड्रोलिक परीक्षण के दौरान अंतिम जांच और स्टैंपिंग के पश्चात् ।
- (घ) **इस्पात निर्माता की संकर्म फाउंडरी/ढलाई इकाइयों में तथा पाइप और ट्यूब निर्माताओं के संकर्म में निरीक्षण प्राधिकारी/सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला निरीक्षण और परीक्षण:**

1. इस्पात निर्माता का संकर्म

- (क) बायलरों के संनिर्माण में उपयोग किए जाने के लिए बिलेट, इंगोटस, सलैब, बलूमस, प्लेट, छड़ों, कोनकास्ट छड़ों या अन्य सामग्रियों के विनिर्माण के लिए :
- (i) विनियमों के अनुसार इस्पात के रसायन की जांच;
- (ii) जब गैर विध्वंसकारी परीक्षण के लिए तैयार हो और ताप उपचार के पश्चात् यांत्रिक परीक्षण नमूने का चयन ;
- (iii) परीक्षा, अंतिम जांच और स्टैंपिंग

टिप्पण – ऊपर विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस्पात का निर्माण विख्यात इस्पात निर्माता द्वारा किया जाता है जैसा कि भारतीय बायलर विनियम, 1950 के अधीन केंद्रीय बायलर बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, इन परीक्षणों को इस्पात निर्माताओं द्वारा स्वयं किया जाएगा और प्रमाणित किया जाएगा तथा अभिलेख रखे जाएंगे ।

2. पाइप और ट्यूब निर्माता

- (i) सुसंगत सामग्री जांच प्रमाणपत्रों के साथ सामग्रियों की पहचान;
- (ii) जब गैर विध्वंसकारी परीक्षण के लिए तैयार हो और ताप उपचार के पश्चात् यांत्रिक परीक्षण नमूने का चयन ;
- (iii) जब नमूने की जांच की जाए और पाइप/ट्यूब हाइड्रोलिक परीक्षण के लिए तैयार हो;
- (iv) अंतिम निरीक्षण और स्टैंपिंग ।

टिप्पण – ऊपर विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां पाइप/ट्यूबों का निर्माण विख्यात पाइप/ट्यूबों निर्माता द्वारा किया जाता है जैसा कि भारतीय बायलर विनियम, 1950 के अधीन केंद्रीय बायलर बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, निरीक्षण के ऊपर सभी चरणों को पाइप और ट्यूबों के विनिर्माताओं द्वारा स्वयं किया जाएगा और प्रमाणित किया जाएगा तथा अभिलेख रखे जाएंगे ।

3. ढलाई इकाइयां

- (i) विनियमों के अनुसार इस्पात के रसायन की जांच;

- (ii) जब गैर विध्वंसकारी परीक्षण के लिए तैयार हो और ताप उपचार के पश्चात् यांत्रिक परीक्षण नमूने का चयन ;
- (iii) परीक्षा, अंतिम जांच और स्टैपिंग

टिप्पण – ऊपर विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां ढलाई विख्यात ढलाई ईकाइयों द्वारा की जाती है जैसा कि भारतीय बायलर विनियम, 1950 के अधीन केंद्रीय बायलर बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, इन परीक्षणों को ढलाईकारों द्वारा स्वयं किया जाएगा और प्रमाणित किया जाएगा तथा अभिलेख रखे जाएंगे।

4. फाउंडरी ईकाइयां:

- (i) विनियमों के अनुसार पिघले हुए धातु के रसायन की जांच;
- (ii) ताप संख्या का सत्यापन और परीक्षण छद्मों की स्टैपिंग ;
- (iii) गैर विध्वंसकारी परीक्षण रिपोर्ट और ताप उपचार रिपोर्टों / अभिलेखों, यांत्रिक परीक्षण का सत्यापन, अंतिम जांच एवं स्टैपिंग

टिप्पण – ऊपर विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कास्टिंग विख्यात फाउंडरी इकाइयों द्वारा की जाती है जैसा कि भारतीय बायलर विनियम, 1950 के अधीन केंद्रीय बायलर बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, इन परीक्षणों को ढलाईकारों द्वारा स्वयं किया जाएगा और प्रमाणित किया जाएगा तथा अभिलेख रखे जाएंगे।

ड. वाल्व और मार्जिंग

- (क) सुसंगत सामग्री परीक्षण प्रमाणपत्रों के साथ सामग्रियों की पहचान;
- (ख) हाइड्रोलिक परीक्षण और स्टैपिंग।”।

[फा. सं. 6(3)/2015-बायलर]

टी. एस. जी. नारायणन, सचिव, केंद्रीय बायलर बोर्ड

टिप्पण – मूल विनियम भारत के राजपत्र में का.आ. 600, तारीख 15 सितंबर, 1950 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 286, तारीख 15 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

(CENTRAL BOILERS BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2015

G.S.R. 664 (E).—Whereas certain draft regulations namely, the Indian Boiler (Second Amendment) Regulations, 2015 further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950 were published as required under sub-section (1) of Section 31 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923) *vide* notification number G.S.R. 285(E), dated the 15th April, 2015 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 23rd April, 2015;

And whereas, objections and suggestions have been received from various persons and stakeholders within the specified period in respect of the amendments contained in the said notification and all the objections and suggestions have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Indian Boiler (Second Amendment) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950 (hereinafter referred to as the said regulations) in regulation 4,—

(i) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

“(e) **Certificates for pipes.**—A certificate of manufacture and test in Form III-A, signed by the maker and the Inspecting Authority shall be furnished and well known pipe makers shall also be allowed to furnish digitally signed on-line certificate of manufacture and test in Form III-A.”;

(ii) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

“(f) **Certificates for tubes.**—A certificate of manufacture and test in Form III-B, signed by the maker and the Inspecting Authority shall be furnished and well known tube makers shall also be allowed to furnish digitally signed on-line certificate of manufacture and test in Form III-B.”.

3. In the said regulations, in regulation 290,-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) All chests and fittings shall be smooth, sound and free from flaws, cracks or other injurious defects and after completion, the chests shall be hydraulically tested at minimum one and half times the working pressure of the boiler for which they are intended.

Hydraulic test shall be made with water which may contain a corrosion inhibitor, with kerosene or with other suitable liquid provided its viscosity is not greater than that of water at a test temperature not above 52°C.”;

(ii) in clause (d), for the words, letters and figures “where, f = allowable stress in kg/mm^2 for the material at the working metal temperature ‘ t ’ to be determined on the basis given below:

The allowable stress ‘ f ’ at or below 454°C is the lower of the following two values:

$$f = \frac{Et}{1.5} \qquad f = \frac{R}{2.7}$$

For temperature above 454°C the least of the following three values—

$$(a) f = \frac{Et}{1.5} \qquad (b) f = \frac{Sr}{1.5} \qquad (c) f = Sc \text{ ”, the words, letters and figures}$$

“where, f = maximum allowable stress as available in the governing codes of the country of the material to which it belongs in kg/mm^2 . In case of non-availability of the value, the following procedure for evaluating the allowable stress values shall be adopted.

For temperature at or below 454°C, the lower of the following two values:

$$f = \frac{Et}{1.5} \qquad f = \frac{R}{2.7}$$

For temperature above 454°C the least of the following three values—

$$(a) f = \frac{Et}{1.5} \qquad (b) f = \frac{Sr}{1.5} \qquad (c) f = Sc \text{ ” shall be substituted.”.$$

4. In the said regulations, for regulation 385, the following regulations shall be substituted, namely:—

“385. Registration fee.--The required fee to accompany an application under sub-section (1) of section 7 of the Act shall be as follows:—

TABLE

Sl. No.	Boiler Ratings	Fee in rupees
(1)	(2)	(3)
1	For Small Industrial Boiler as per Chapter XIV	1200
2	For Boiler Rating not exceeding 10 sq. meters	1800
3	For Boiler Rating exceeding 10 sq. meters but not exceeding 30 sq. meters	2400
4	For Boiler Rating exceeding 30 sq. meters but not exceeding 50 sq. meters	2700
5	For Boiler Rating exceeding 50 sq. meters but not exceeding 70 sq. meters	3300
6	For Boiler Rating exceeding 70 sq. meters but not exceeding 90 sq. meters	3900
7	For Boiler Rating exceeding 90 sq. meters but not exceeding 110 sq. meters	4500
8	For Boiler Rating exceeding 110 sq. meters but not exceeding 200 sq. meters	5100
9	For Boiler Rating exceeding 200 sq. meters but not exceeding 400 sq. meters	5700
10	For Boiler Rating exceeding 400 sq. meters but not exceeding 600 sq. meters	6600
11	For Boiler Rating exceeding 600 sq. meters but not exceeding 800 sq. meters	7200
12	For Boiler Rating exceeding 800 sq. meters but not exceeding 1000 sq. meters	8100
13	For Boiler Rating exceeding 1000 sq. meters but not exceeding 1200 sq. meters	9600
14	For Boiler Rating exceeding 1200 sq. meters but not exceeding 1400 sq. meters	10800
15	For Boiler Rating exceeding 1400 sq. meters but not exceeding 1600 sq. meters	12600
16	For Boiler Rating exceeding 1600 sq. meters but not exceeding 1800 sq. meters	13500
17	For Boiler Rating exceeding 1800 sq. meters but not exceeding 2000 sq. meters	15000
18	For Boiler Rating exceeding 2000 sq. meters but not exceeding 2200 sq. meters	16200
19	For Boiler Rating exceeding 2200 sq. meters but not exceeding 2400 sq. meters	18000
20	For Boiler Rating exceeding 2400 sq. meters but not exceeding 2600 sq. meters	18900
21	For Boiler Rating exceeding 2600 sq. meters but not exceeding 2800 sq. meters	20400
22	For Boiler Rating exceeding 2800 sq. meters but not exceeding 3000 sq. meters	21600

Above 3000 sq. meters, for every 200 sq. meters or part thereof, an additional fee of Rs. 600 shall be charged:

Provided that the Chief Inspector may direct that no fee shall be payable in respect of a fresh application made in pursuance of sub-section (2) of section 14 of the Act.

Inspection fee for separately fired Super-heater, Re-heater and Economiser shall be charged at the same rate as the registration fee.

For Heat Recovery Steam Generators with finned tubes, the fee shall be calculated on heating surface area of bare tubes and on one fourth of heating surface area of fins.

Note: The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for prescribing fees as per clause (f) of sub-section (1) of section 29 of the Act, which shall prevail.

385A. Inspection fee for renewal of Certificate.-- The required fee to accompany an application under sub-section (5A) of section 8 of the Act shall be as follows :—

TABLE

S.No.	Boiler Ratings	Fee in rupees
(1)	(2)	(3)
1	For Small Industrial Boiler as per Chapter XIV	1000
2	For Boiler Rating not exceeding 10 sq. meters	1600
3	For Boiler Rating exceeding 10 sq. meters but not exceeding 30 sq. meters	2100
4	For Boiler Rating exceeding 30 sq. meters but not exceeding 50 sq. meters	2400
5	For Boiler Rating exceeding 50 sq. meters but not exceeding 70 sq. meters	2700
6	For Boiler Rating exceeding 70 sq. meters but not exceeding 90 sq. meters	3400
7	For Boiler Rating exceeding 90 sq. meters but not exceeding 110 sq. meters	4000
8	For Boiler Rating exceeding 110 sq. meters but not exceeding 200 sq. meters	4500
9	For Boiler Rating exceeding 200 sq. meters but not exceeding 400 sq. meters	5000
10	For Boiler Rating exceeding 400 sq. meters but not exceeding 600 sq. meters	5800
11	For Boiler Rating exceeding 600 sq. meters but not exceeding 800 sq. meters	6300
12	For Boiler Rating exceeding 800 sq. meters but not exceeding 1000 sq. meters	7100
13	For Boiler Rating exceeding 1000 sq. meters but not exceeding 1200 sq. meters	8400
14	For Boiler Rating exceeding 1200 sq. meters but not exceeding 1400 sq. meters	9500
15	For Boiler Rating exceeding 1400 sq. meters but not exceeding 1600 sq. meters	11100
16	For Boiler Rating exceeding 1600 sq. meters but not exceeding 1800 sq. meters	11900
17	For Boiler Rating exceeding 1800 sq. meters but not exceeding 2000 sq. meters	13200
18	For Boiler Rating exceeding 2000 sq. meters but not exceeding 2200 sq. meters	14300
19	For Boiler Rating exceeding 2200 sq. meters but not exceeding 2400 sq. meters	15800
20	For Boiler Rating exceeding 2400 sq. meters but not exceeding 2600 sq. meters	16600

21	For Boiler Rating exceeding 2600 sq. meters but not exceeding 2800 sq. meters	18000
22	For Boiler Rating exceeding 2800 sq. meters but not exceeding 3000 sq. meters	19000

Above 3000 sq. meters, for every 200 sq. meters or part thereof an additional fee of Rs. 500 shall be charged:

Provided that the Chief Inspector may direct that no fee shall be payable in respect of a fresh application made in pursuance of sub-section (2) of section 14 of the Act.

Inspection fee for separately fired Super-heater, Re-heater and Feed water heater shall be charged at the same rate.

For Heat Recovery Steam Generators with finned tubes, the fee shall be calculated on heating surface area of bare tubes and on one fourth of heating surface area of fins.

For renewal of certificate for a period of six months or less on the request of owner, half of applicable fee shall be payable.

Applicable fee shall be payable again for the re-inspection of a defective boiler after completion of repairs.

For inspection on Sundays and Public Holidays under the Negotiable Instrument Act, 1881 (26 of 1881), on the request of owner, additional fee equivalent to half of applicable fee shall be payable.

Note: If any State Government has notified rules before the commencement of these regulations, for fee payable for renewal of certificate which is higher than that specified in this regulation, they may exercise option to charge fee as per those rules or as provided in this regulation.”.

5. In the said regulations, regulation 388 shall be numbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation as so re-numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(2) A fee of Rs. 1000 per boiler shall be charged by the transferor State from the boiler owner.”.

6. In the said regulations, for regulation 392, the following regulation shall be substituted, namely:—

“392. Repairs to Boilers and Steam Pipes.-- (1) Major repairs or replacements such as tubes, coils, headers, drums, fusion welded or riveted patches to shells, fireboxes and end plates of boilers and extensive building up of wasted parts of boilers permitted under these regulations, the renewal of furnaces and end plates, parts of shell, fireboxes, girders and steam-pipes, etc., shall only be entrusted to a firm who is recognised as a repairer under these regulations.

(2) Any firm seeking recognition shall apply to the Chief Inspector of Boilers of the State in which the recognition is sought alongwith the following fee:—

TABLE

S.No.	Class of boiler repairer	Fee for recognition in rupees	Fee for renewal of recognition in rupees	Fee for endorsement in rupees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Special Class	15,000/-	7,500/-	5,000/-
2.	Class I	10,000/-	5,000/-	4,000/-
3.	Class II	5,000/-	2,500/-	2,000/-
4.	Class III	2,500/-	1,250/-	1,000/-

(3) A firm seeking recognition as a repairer shall meet the following requirements depending upon the class of boilers, namely:—

- (i) Class I boiler repairer.—The owner of the firm himself shall have a degree in mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical engineering or the firm shall have on its rolls a permanently employed engineer having a degree in mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical engineering and the said owner or the permanently employed engineer shall also have an experience of at least five years in an organisation engaged in fabrication, erection, repair or maintenance and quality control of boilers; and the firm shall also have qualified and permanently employed welders as per the provisions of these regulations;
- (ii) Class II boiler repairer.—The owner of the firm himself shall have a diploma in mechanical engineering or the firm shall have on its rolls a permanently employed engineer having a diploma in mechanical engineering and the said owner or the permanently employed engineer shall also have an experience of at least three years in an organisation engaged in fabrication, erection, repair or maintenance and quality control of boilers; and the firm shall also have qualified and permanently employed welders as per the provisions of these regulations;
- (iii) Class III boiler repairer.— The owner of the firm himself or a person permanently employed with the firm shall have a minimum three years' experience in repair, maintenance, operation, erection or inspection of boiler and the firm shall also have qualified and permanently employed welders as per the provisions of these regulations;
- (iv) Special class boiler repairer.—The owner of the firm himself shall have a degree in mechanical or welding engineering alongwith specialised experience in welding technology for a minimum period of three years or the firm shall have on its rolls a permanently employed engineer having a degree in mechanical or welding engineering alongwith specialised experience in welding technology for a minimum period of three years, and have permanently employed welders as per the provisions of these regulations who should also have valid certificate for carrying out Tungsten Inert Gas welding;
- (v)
 - (a) Where the power stations, fertilizer plants, chemical and petrochemical plants or refineries apply for repair of their own boilers, they shall have all the facilities in-house and may apply to the Chief Inspector of Boilers of the State for permission to repair their own boilers in accordance with these regulations;
 - (b) On receipt of the application for permission to repair to a boiler, the Chief Inspector of Boilers of the State shall reply to the request within a period of fifteen days of the receipt of the application.

(4) On receipt of the application under sub-regulation (3), the Chief Inspector shall send a questionnaire in 'Form XVIII' to the applicant.

(5) The Chief Inspector shall scrutinise and evaluate the application along with the replies to the questionnaire and after satisfying himself that the following requirements are fulfilled, shall recognise the firm as a repairer within a period of thirty days, in the category applied for, namely:—

- (i) that the firm possesses rectifier or generator, grinder, general tools and tackles, dye-penetrant kit, expander and measuring instruments;
- (ii) that the electric arc or oxy-acetylene welding sets and all other tools and plant in his possession for carrying out repairs are suitable for the work undertaken;
- (iii) that the quality of material used conforms to the specifications prescribed in these regulations;
- (iv) that the supervisory and operational staff employed by the firm possesses the necessary training and experience for the work undertaken;
- (v) that all welders employed by the firm possess certificates issued as required under Chapter XIII of these regulations;
- (vi) standard of work should be of high order and comply with all the requirements and test that may be specified by the Chief Inspector.

(6) The recognition of the firm as a repairer shall be for a period of two years and thereafter it shall apply for renewal of its recognition at least two months before the expiry of said period.

(7) A repairer recognised in one State shall be eligible to work in any other State by getting his recognition endorsed from the Chief Inspector or Director of Boilers of the concerned State on making payment of fee as prescribed in this regulation.

(8) In case the repairer is found indulging in violating the provisions of the Act or regulations, the firm shall be blacklisted under intimation to Chief Inspector or Director of Boilers of all the States and Union Territories and Secretary, Central Boilers Board and renewal shall not be done in any case.”.

7. In the said regulations, in regulation 393,—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) In the case of land boilers and boiler components including spares made in India for use in the States, the manufacturing drawings and the particulars of materials, design and construction of boilers shall be submitted by the makers of the boilers or boiler components or spares, as the case may be to the Inspecting Authority of the State, where the principal parts of the boilers will be manufactured, for examination and approval before commencement of the manufacture of boilers.”;

(ii) in clause (b), for the words “In the case of boilers”, the words “In the case of boilers and boiler components including spares” shall be substituted.”;

(iii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) The fees for the scrutiny of the manufacturing drawings and the particulars of the materials design and construction of boilers and boiler components including spares under clauses (a) or (b) shall be on the scale prescribed in regulation 385A , but when the manufacturing drawings have been scrutinised and in respect of them alterations have been suggested and the same are resubmitted for scrutiny, separate fee at the rate of ten per cent of the fee for the first scrutiny of the drawings shall be payable if the manufacturing drawings contain alterations other than those previously suggested.”.

8. In the said regulations, for regulation 395, the following regulation shall be substituted, namely:—

“395. Submission of Plans of steam pipes.—(a) Plans of steam pipes including mountings and fittings shall be submitted with the prescribed fee to the Inspecting Authority before construction and to the Chief Inspector at the time of registration of the boiler for his decision whether the pipes and their arrangement comply with the regulations.

(b) (i) The fees for examination of plans and the particulars of materials, design and construction of steam pipes before the commencement of manufacture of the steam pipes shall be at the rate of Rs. 200 for 30 metres of piping or part thereof subject to a minimum of Rs. 5,000.

(ii) The fees for examination of plans and the particulars of materials, design and construction of any fitting, mountings and components (without heat transfer) like valves, dished ends, hand hole covers, man hole covers, flanges, etc., shall be Rs. 300 for each category of such identical fittings, but for fittings like de-superheaters, steam receivers, separators, fee shall be Rs. 1,000 for each category of such identical fittings.”.

9. In the said regulations, for regulation 395A, the following regulation shall be substituted, namely:—

“395A. Inspection fee for boilers and part thereof constructed in India.-- (1) The inspection fee for boilers shall be calculated at four times the fee for renewal of certificate for a boiler as prescribed in regulation 385A.

(2) For inspection of tubes and pipes, the fee shall be charged at the rate of Rs. 360 per metric tonne or a part thereof.

(3) Fees for inspection of boiler at the site of construction shall be charged at the rate of four times the fee for renewal of certificate for a boiler as prescribed in regulation 385A.

(4) For inspection of forged pipe fittings, the fees shall be charged at the rate specified for forged and cast flanges under clause (i) of sub-regulation (2) of regulation 395C.

(5) For inspection of pipe fittings other than forged pipe fittings, the fees shall be charged at the rate two times as specified for forged and cast fittings under clause (i) of sub-regulation (2) of regulation 395C.

- (6) For inspection of pipe and tube bends, the fee shall be charged at the rate of Rs. 10 per meter subject to a minimum of Rs 300 .”.
- 10.** In the said regulations, for regulation 395B, the following regulation shall be substituted, namely:—
- “395B. Inspection fee for pipes.--(a) For the pipes of nominal bore not exceeding 100 mm inclusive of all fittings excepting fittings like de-superheaters, steam-receivers, feed heaters and separately fired superheaters Rs. 500 for 30 metres of pipe or part thereof.
- (b) For pipes of nominal bore exceeding 100 mm inclusive of all fittings excepting fittings like de-superheaters, steam receivers, feed heaters and separately fired superheaters Rs. 1200 for 30 metres or part thereof .”.
- 11.** In the said regulations, for regulation 395C, the following regulation shall be substituted, namely:—
- “395C. Inspection fee for valves and flanges.-- (1) Subject to a minimum inspection fee of Rs. 600 per inspection, the fees for inspection of valves shall be charged as under:—
- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| (a) upto 25 mm | Rs. 20 per piece; |
| (b) above 25 mm and upto 100 mm | Rs. 60 per piece; |
| (c) above 100 mm and upto 250 mm | Rs. 400 per piece; |
| (d) above 250 mm | Rs. 1000 per piece. |
- (2) Fees for inspection of flanges shall be charged as under:—
- | | |
|---|----------|
| (i) for forged and cast flanges,- | |
| (a) upto and including 25 mm for a batch of 50 or part thereof | Rs. 300; |
| (b) upto and including 25 mm for a batch of 100 or part thereof | Rs. 520; |
| (c) over 25 mm upto and including 50 mm for a batch of 50 or part thereof | Rs. 580; |
| (d) over 50 mm upto and including 100 mm for a batch of 25 or part thereof | Rs. 580; |
| (e) over 100 mm upto and including 250 mm for a batch of 10 or part thereof | Rs. 620; |
| (f) over 250 mm for a batch of 5 or part thereof | Rs. 720; |
- (ii) for plate flanges, the fees shall be charged at half the rate as charged for forged and cast flanges.”.
- 12.** In the said regulations, for regulation 395E, the following regulation shall be substituted, namely:—
- “395E. Inspection fee for feed water heaters and other fittings.-- (1) Fees for inspection of feed water heaters shall be charged at Rs. 10,000 per heater.
- (2) Fees for inspection of other fittings like de-superheaters, steam receivers and separately fired superheaters shall be charged at Rs. 2500 per fitting.”.
- 13.** In the said regulations, for regulation 395G, the following regulation shall be substituted, namely:—
- “395G. Inspection fee for spares and boiler components.--The inspection fee for all types of coils, namely, economiser coils, superheater coils, reheater coils, the fee shall be charged at four times the fee for renewal of certificate on the basis of surface area as provided in regulation 385A.”.
- 14.** In the said regulations, for regulation 533, the following regulations shall be substituted, namely:—
- “533. Registration fee.-- An application for registration of economiser shall be accompanied by appropriate fee as specified in regulation 385.

533A. Fee for renewal of certificate.--An application for renewal of certificate of registration of economiser shall be accompanied by appropriate fee as specified in regulation 385 A.”.

15. In the said regulations, for regulation 534B, the following regulation shall be substituted, namely:—

“534B. Submission of plans of feed pipes.--(1) The fees for the scrutiny of plans and particulars of the material, design and construction of feed pipes, before commencement of manufacture of the feed pipes shall be at the rate of Rs. 200 for 30 metres of piping or part thereof.

(2) The fees for the scrutiny of plans and particulars of the material, design and construction of any such fittings like feed water heater shall be charged at Rs. 2500 per fitting.”.

16. In the said regulations, in regulation 592, in clause (b), for the letters, symbol, words, figure and bracket “ E_t = is the specified minimum elevated temperature yield stress or the 0.2% proof stress at the design temperature (in kg/cm^2)”, the letters, symbol, words, figures and bracket “ E_t = the specified minimum elevated temperature yield stress or the 0.2% proof stress at the design temperature (in kg/cm^2) as available in the governing codes of the country of the material to which it belongs” shall be substituted.

17. In the said regulations, in regulation 605A, in clause (ii), for the letters and figures “Rs. 25.00”, the letters and figure “Rs. 300” shall be substituted.

18. In the said regulations, for regulation 616, the following regulation shall be substituted, namely:—

“616. Fees for examination of welders.—(1) Fees for examination of welders under these regulations shall be Rs. 600 which shall be borne by the applicant or sponsor, as the case may be and in addition, the applicant or sponsor shall bear all other expenses like cost of material and workshop and testing facilities as fixed by the Competent Authority.

(2) The fee for endorsement of welder’s certificate shall be Rs. 200 and shall be borne by the applicant or sponsor, as the case may be.”.

19. In the said regulations, for regulation 617, the following regulation shall be substituted, namely:—

“617. Penalty.--(1)Whoever employs a person in welding a boiler or steam-pipe in contravention of these regulations shall be punishable with fine which may extend to Rs. 5000.

(2) Any employer or welder who fails to maintain the records as required under regulation 615 shall be punishable with fine which may extend to Rs. 2500.”.

20. In the said regulations, in regulation 622, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) (i) The fee required to accompany an application under sub-section (1) of section 7 of the Act shall be as per regulation 385;

(ii) The annual inspection fee shall be as per regulation 385A.”.

21. In the said regulations, in Form III-A, after Note (3), the following Note shall be inserted, namely:—

“Note (4): From well known pipe manufacturers, digitally signed on-line Form shall also be accepted.”.

22. In the said regulations, in Form III-B, after Note (3), the following Note shall be inserted, namely:—

“Note (4): From well known tube manufacturers, digitally signed on-line Form shall also be accepted.”.

23. In the said regulations, for Form IV, the following form shall be substituted, namely:—

“FORM IV**STEEL MAKER’S CERTIFICATE OF MANUFACTURE AND RESULTS OF TESTS**

[Regulation 4(c)(iv)]

We hereby certify that the material described below has been made by M/s. by the process, as per specifications and rolled by and has been satisfactorily tested in the presence of our Test House Manager or his representative in accordance with the stipulated tests and tolerances.

For plates and bars, the physical properties are required to be mentioned whereas, for ingots, billets, blooms, slabs and concast bars which are to be processed further, the physical properties are not required to be mentioned by the steel manufacturer.

RESULTS OF TESTS										
Heat Number	Brand and Number	Name of Product	Size			Number of pieces	Ultimate tensile strength in Kgs./mm ²	Percentage elongation	Bend tests	Remarks
			Length (meters)	Breadth (meters)	Thickness or diameter (mm)					

Chemical analysis

Other tests.....

Maker’s Representative
(Name and signature)

Maker _____
(Name and signature)

We have satisfied ourselves that the _____ have manufactured the products in accordance with Indian Boiler Regulations, 1950. The tests conducted on the samples taken from the finished products have been witnessed by us and the particulars entered herein are correct.

Name and signature of
Competent Person

Name and signature of
Inspecting Authority/ Well Known Steel Maker .”.

Place _____

Date _____

24. In the said regulations, for Appendix-J, the following Appendix shall be substituted, namely:—

“APPENDIX J**INSPECTION AND TESTING OF BOILERS, BOILER COMPONENTS AND OTHER PARTS
DURING MANUFACTURE****GENERAL**

The Inspecting Authority/Competent Person shall have access to the works of the manufacturer at all reasonable times and shall inspect the manufacture of the boiler at least at the following stages and may reject any part that does not comply with the requirements of the Indian Boiler Regulations, 1950. In case of any doubt, the Inspecting Authority/Competent Person may examine at any stage other than the stages stipulated below. The manufacturer shall give at least 4 working days' notice to the Inspecting Authority/Competent Person before reaching each stage. Before undertaking any of the stage inspections, the Inspecting Authority/Competent Person shall satisfy himself that the testing equipment/instrument has been properly calibrated.

STAGES OF INSPECTION

Each boiler shall be inspected during manufacture by a Competent Person nominated by the Inspecting Authority. Sufficient inspections shall be made to ensure that the materials, manufacturing and testing conform to the requirements of these regulations.

Stages of Inspection During Manufacture**A. Shell Type Boilers**

- (a)
 - (i) When the materials are ready for identification with the relevant material test certificates at boiler maker's works;
 - (ii) In laying out and cutting the plates, the plate identification mark shall be located so as to be clearly visible after the boiler part is completed. If the plate's identification mark is unavoidably cut out, it shall be transferred by the manufacturer to another part of the component to the satisfaction of the Inspecting Authority/Competent Person;
 - (iii) The Inspecting Authority/Competent Person shall identify weld test plate material if production weld tests are required;
- (b) When the Shell plate and end plates have been formed with plate edges prepared for welding and test plates are attached;
- (c) When the welding of main cylindrical shell is completed and checked for circularity;
- (d) To examine radiographs and/or reports of non-destructive testing;
- (e) When openings have been prepared and stand pipes and similar connections including end plates have been tackwelded in position and subsequently on completion;
- (f) When welding of drum or shell is completed and to check the records of heat-treatment when heat treatment is required under these regulations;
- (g) When weld test specimens have been prepared from the test plate, previously selected to witness the required testing;
- (h) During hydraulic test, followed by external and internal examination and stamping.

B. Water Tube Boilers**(I) Welded drums, headers, separators and vessels**

- (a)
 - (i) When the materials are ready for identification with the relevant material test certificates at boiler maker's works;
 - (ii) In laying out and cutting the plates, the plate identification mark shall be located so as to be clearly visible after the boiler part is completed. If the plate's identification mark is unavoidably cut out, it shall be transferred by the manufacturer to another part of the component to the satisfaction of the Inspecting Authority/Competent Person;
 - (iii) The Inspecting Authority/Competent Person shall identify weld test plate material if production weld tests are required;

- (b) When the plates are formed to cylindrical shape with the edges prepared for welding and set up in readiness for commencement of welding and attachment of test plates;
- (c) When the welding of the main cylindrical shell is completed, the shell checked for circularity and the radiographic or ultrasonic test reports, records are available for scrutiny;
- (d) When the end plates are ready for identification with the mill certificate, formed to shape with weld edges prepared and set on to the cylindrical shell in readiness for the circumferential welding operation;
- (e) When the welding of the end plates to the drum or the header is complete and the radiographs or ultrasonic examination records are available for scrutiny;
- (f) When each drum or header is prepared to receive any compensation plates and attachments, and when at least 10% of each type of branch of tube stub is set up ready for welding;
- (g) When all welding on each drum or header is complete, the Inspecting Authority/Competent Person will check the records of heat treatment, and mark off of specimens for preparation and testing from test plates;
- (h) During non-destructive examination, after stress relieving, on alloy steel drums and carbon steel drums with carbon content exceeding 0.25 % or thickness more than 100 mm;
- (i) During hydraulic test followed by final examination and stamping.

(II) Seamless drums, headers, separators and vessels

- (a) When materials are ready for identification with the relevant material test certificates, also when each cylinder is prepared for forming, or welding of separate end closures and to identify test plate material;
- (b) When the end plates are ready for identification with the mill certificate, formed to shape with weld edges prepared and set on to the cylindrical shell in readiness for the circumferential welding operation;
- (c) When the welding of the end plates to the drum or the header is complete and the radiographs or ultrasonic examination records are available for scrutiny;
- (d) When each drum or header is prepared to receive any compensation plates and attachments, and when at least 10% of each type of branch of tube stub is set up ready for welding;
- (e) When all welding on each drum or header is complete, the Inspecting Authority will check the records of heat treatment, and mark off of specimens for preparation and testing from test plates;
- (f) During non-destructive examination, after stress relieving, on alloy steel drums and carbon steel drums with carbon content exceeding 0.25 % or thickness more than 100 mm;
- (g) During hydraulic test followed by final examination and stamping.

C. Tubular and piping components

- (a) When the tubes or pipes are ready for identification with the relevant material test certificates at the boiler makers' works;
- (b) When all welding of tubes or pipes and their attachments are complete and the non-destructive examination and stress relieving report/records are available for scrutiny;
- (c) During hydraulic test followed by final examination and stamping.

D. Inspections and tests to be carried out at Steel Makers' Works Foundry/Forging Units and the pipe and tube makers' works by the Inspecting Authority/Competent Person:

(I) Steel Makers Works

- (a) For manufacture of the billets, ingots, slabs, blooms, plates, bars, concast bars or any other material to be used in the construction of the boilers:
 - (i) checking of the chemistry of steel as per regulations;
 - (ii) when ready for non-destructive examination and selection of mechanical test specimen after heat treatment;
 - (iii) testing, final examination and stamping.

Note : Notwithstanding anything specified above where the steel is made by the Well-known Steel Maker as recognised under the Indian Boiler Regulations, 1950 by the Central Boilers Board these tests will be carried out and certified by the Steel Makers themselves and the records maintained.

(II) Pipe and Tube Makers

- (i) Identification of materials with relevant material test certificates;
- (ii) when ready for non-destructive examination and selection of mechanical test specimens after heat treatment;
- (iii) when specimen is tested and pipes/tubes are ready for hydraulic tests.
- (iv) final inspection and stamping

Note : Notwithstanding anything specified above, when the pipes/tubes are manufactured by well-known pipes/tubes makers recognised under the Indian Boiler Regulations, 1950 by the Central Boilers Board, all the above stages of inspections shall be carried out and certified by the manufacturers of pipes and tubes themselves and records maintained.

(III) Forging Units:

- (i) checking of the chemistry of steel as per regulations;
- (ii) when ready for non-destructive examination and selection of mechanical test specimen after heat treatment;
- (iii) testing, final examination and stamping.

Note: Notwithstanding anything specified above, when the forgings are made by well-known forging units as recognised under the Indian Boiler Regulations, 1950 by the Central Boilers Board then tests will be carried out and certified by the Forges themselves and all records are maintained properly.

(IV) Foundry Units:

- (i) checking of the chemistry of molten metal;
- (ii) verification of heat number and stamping of test bars;
- (iii) verification of non-destructive examination report and heat treatment reports/records, mechanical testing, final examination & stamping.

Note: Notwithstanding anything specified above, when the castings are made by well-known foundry units as recognised under the Indian Boiler Regulations, 1950 by the Central Boilers Board then tests will be carried out and certified by the Foundries themselves and all records are maintained properly.

E. Valves and Mountings

- (a) identification of materials with the relevant material test certificates;
- (b) hydraulic test and stamping.”.

[F. No. 6(3)/2015-Boilers]

T. S. G. NARAYANNEN, Secy., Central Boilers Board

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, *vide*, number S.O. 600, dated the 15th day of September, 1950 and last amended *vide* number G.S.R.286(E), dated the 15th April, 2015